



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 393 वर्ष 2026

मुकेश चन्द @ मुकेश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आर्य गौतम, अतिप्रिया गौतम, जय विश्वनाथ पाण्डेय, वरिष्ठ
अधिवक्ता प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री विजय गौतम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता सुश्री वैष्णवी श्रीवास्तव (यूपी 36077/2025) द्वारा की गई, जो सुश्री आर्य गौतम, विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का ब्रीफ धारण कर रही थीं तथा श्री प्रशांत कुमार मिश्र, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, राज्य के लिए, को सुना गया।
2. प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा संयुक्त कथन किया गया है तथा विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तावित किया कि वह रिट याचिका में कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पक्षकारों की सहमति से वर्तमान अवस्था में ही किया जाए।
3. रिट याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 26.10.1998 को आरक्षी तथा दिनांक 26.10.2018 को हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात किया गया था तथा जब रिट याचिकाकर्ता हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था, तब उसे दिनांक 20.12.2025 के आदेश द्वारा पुलिस अधीक्षक, कासगंज द्वारा कुछ आरोपों के कारण, जो कि जांच के विचाराधीन होने के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारियों (दण्ड एवं अपील) नियमावली, अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1991 के नियम 17(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निलंबित कर दिया गया।

4. उक्त निलंबन आदेश को आक्षेपित करते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
5. विद्वान अधिवक्ता, रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 20.12.2025 को निलंबित किया गया, तथापि दिनांक 29.12.2025 को थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन कासगंज द्वारा एक संप्रेषण जारी किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को उपस्थित होकर प्रारम्भिक जांच में सहभागिता करने हेतु निर्देशित किया गया।
6. विद्वान अधिवक्ता, रिट याचिकाकर्ता का तर्क है कि निलंबन आदेश विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है, विशेषतः तब जब इसे केवल उन परिस्थितियों में पारित किया जा सकता है, जब कोई विभागीय जांच विचाराधीन हो या लंबित हो। तथापि, यहाँ निलंबन आदेश में यह उल्लेखित है कि जांच विचाराधीन है, किन्तु दिनांक 29.12.2025 का संप्रेषण स्वयं यह प्रदर्शित करता है कि प्रारम्भिक जांच की जा रही है, अतः विधि की दृष्टि में यह नहीं कहा जा सकता कि विभागीय जांच लंबित है अथवा विचाराधीन है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रारम्भिक जांच के परिणाम के उपरांत नियमित विभागीय जांच की जाए या न की जाए, यह अनिश्चित है।
7. इस न्यायालय के निर्णय, **सच्चिदा नन्द त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य, रिट-ए संख्या 69308 वर्ष 2013**, निर्णय दिनांक 17.12.2013, जिस की प्रति रिट याचिका के परिशिष्ट-5 के रूप में संलग्न की गई है, पर निर्भरता रखी गई है, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि यद्यपि नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कर्मचारी को विभागीय जांच के विचाराधीन होने पर निलंबित कर सकता है, किन्तु जब सक्षम प्राधिकारी ने यह उपयुक्त समझा कि पहले एक प्रारम्भिक तथ्य अन्वेषण जांच की जाए, तत्पश्चात यह निर्णय लिया जाए कि नियमित विभागीय जांच की जाए या नहीं, तो इसका यह अर्थ होगा कि कोई नियमित विभागीय जांच विचाराधीन नहीं थी और इस प्रकार इसे विभागीय जांच/कार्यवाही के विचाराधीन निलंबन नहीं कहा जा सकता।
8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता, इसके विपरीत, प्रस्तुत करते हैं कि जिन आरोपों के आधार पर रिट याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया है, वे गंभीर एवं गम्भीर प्रकृति के हैं। तथापि, वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि दिनांक 29.12.2025 के संप्रेषण के आलोक में प्रारम्भिक जांच

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कराए जाने का निर्देश दिया गया है और उक्त परिप्रेक्ष्य में निलंबन का सहारा नहीं लिया जा सकता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पुनः प्रेषित किया जाए, ताकि वह नवीन आदेश पारित कर सके।

9. बार के समक्ष प्रस्तुत तर्कों को सुनने के उपरांत तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि निलंबन आदेश के पश्चात प्रारम्भिक जांच कराने हेतु संप्रेषण जारी किया गया है और निलंबन का सहारा केवल प्रारम्भिक जांच के उपरांत, यदि आवश्यक हो, लिया जा सकता है, अतः **सच्चिदा नन्द त्रिपाठी (उपर्युक्त)** के प्रकरण में प्रतिपादित विधि का अनुसरण करते हुए, आक्षेपित आदेश टिकाऊ नहीं है।

10. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है तथा पुलिस अधीक्षक, कासगंज द्वारा दिनांक 20.12.2025 को पारित वह आदेश, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया था, निरस्त किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह प्रारम्भिक जांच के समापन के उपरांत विधि के अनुसार नवीन आदेश पारित करे।

16 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति माननीय विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।